बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं०-03/निदे0छात्रावास(निर्माण) 31-02/2021- 214

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 29.01.2025

विषय-राज्य स्कीम मद से 38 (अड़तीस) जिला मुख्यालयों में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना" अन्तर्गत सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-1511 दिनांक-02.03.2022 द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार प्रति छात्रावास कुल ₹4,90,62,000/-(चार करोड़ नब्बे लाख बासठ हजार रू0) मात्र की दर से कुल (₹4,90,62,000X38)= ₹1,86,43,56,000/-(एक अरब छियासी करोड़ तैंतालिस लाख छप्पन हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुसूचित जाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-03 मुख्य बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-अनुसचित जाति के भवन विषय शीर्ष-01015301 मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03-4059017890101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0104- अनुसचित जनजाति के भवन विषय शीर्ष-01045301 मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03-4059017960104 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17/4/1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4- योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा एवं इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5- इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6- विभागीय संकल्प सं0-1164 दिनांक-28.03.2022 द्वारा स्वीकृत छात्रावासों में से 38 का प्रत्यार्पण करते हुए सभी जिला मुख्यालयों में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

7- किसी विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल के प्रस्ताव में परिवर्त्तन किया जायेगा तो विभागीय मंत्री से सहमति प्राप्त कर स्थल परिवर्त्तन किया जाएगा।

8- इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10.01.2025 में मद संख्या-32 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9- इस प्रस्ताव पर संचिका सं0-03/निदे0छात्रावास(निर्माण) 31-02/2021 के पृ0सं0- 92/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

10- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

11- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03 / निदे0छात्रावास(निर्माण) 31–02 / 2021– 214 पटना, दिनांक– 29.01.2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, निगरानी विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग / संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / सभी उप निदेशक कल्याण, बिहार / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार / प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।